भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *185

जिसका उत्तर 23 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है।

2 पौष, 1944 (शक)

फर्जी आधार कार्ड

***185. श्री नरेश बंसल** :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने आधार कार्ड जारी किए गए हैं और सभी नागरिकों को कब तक आधार कार्ड मिल जाएंगे;

(ख) क्या यह सच है कि लोगों को फर्जी आधार कार्ड मिल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सत्यापन करने के उपरांत केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को ही आधार संख्या जारी किए जाने के लिए कदम उठाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से **(घ)** : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

फर्जी आधार कार्ड के संबंध में दिनांक 23.12.2022 को राज्य सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. *185 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

******

(क): 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा 135 करोड़ से अधिक आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। अनुमानित मृत्यु के समायोजन के उपरांत, 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार, सक्रिय आधार नंबर धारकों की अनुमानित संख्या 129.40 करोड़ है।

जबकि प्रत्येक निवासी को नामांकन की प्रक्रिया के जरिए आधार नंबर प्राप्त करने का अधिकार है, ऐसा नामांकन स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है । इसके अलावा, बच्चों का जन्म होने पर बाल नामांकन की आवश्यकता होती है, इसलिए नामांकन निरंतर और सतत आधार पर किया जाना चाहिए ।

(ख): आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 ["आधार अधिनियम"] में आधार नंबर जारी करने और प्रमाणीकरण या ऑफ़लाइन सत्यापन, विनियम में यथा विनिर्दिष्ट, के जरिए भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में इसके उपयोग का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में किसी भी ऑफ़लाइन सत्यापन मांगकर्ता संस्था द्वारा प्राधिकरण के डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन का प्रावधान किया गया है । ऐसा डिजिटल हस्ताक्षर एक सुरक्षित क्यूआर कोड के रूप में होता है, जो नामांकन और अद्यतन के बाद निवासियों को जारी किए गए पत्र ("आधार पत्र") पर मुद्रित होता है और यह आधार की पासवर्ड-सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति ("ई-आधार"), आधार मोबाइल ऐप (“एम-आधार”) और सुरक्षित साझा करने योग्य दस्तावेज़ जो ऑफ़लाइन सत्यापन के लिए उपयोगी {“आधार पेपरलेस ऑफ़लाइन ई-केवाईसी (एक्सएमएल)”} में भी उपलब्ध होता है। इसके अलावा, अनुरोधकर्ता संस्था प्राधिकरण के केंद्रीकृत डेटाबेस में व्यक्ति की जनसांख्यिकीय जानकारी या बायोमेट्रिक जानकारी भरकर भी आधार नंबर की प्रामाणिकता की जांच कर सकती है।

(ग) और (घ): आधार अधिनियम प्रत्येक निवासी को आधार नंबर प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है और यह प्रावधान करता है कि आधार नंबर नागरिकता का प्रमाण नहीं है । इस कानूनी अधिकार के अनुसार, आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के उपबंधों के अंतर्गत पहचान और पते के प्रमाण दस्तावेज़ सहित, सहायक दस्तावेज़ प्राप्त करने के बाद, निवासियों को आधार नंबर जारी किया जाता है।

****